भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3279
20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम-II के अंतर्गत विनिर्माण का स्वदेशीकरण

3279. **डॉ. फौजिया खान:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) इलेक्ट्रिक वाहन उप-असेंबली और घटकों के स्वदेशीकरण के लिए फेम II के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) में क्या प्रगति हुई है;
(ख) सेल-मॉड्यूल-पैक इंटीग्रेटरों के लिए स्थानीयकरण लक्ष्यों में कौन-सी कमियाँ पहचानी गई हैं;
(ग) क्या फेम II योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में लाभार्थियों द्वारा घरेलू स्थानीयकरण लक्ष्यों को पूरा न करने पर दंड और प्रोत्साहन राशि की वापसी के प्रावधान शामिल हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो प्रवर्तन और लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): फेम-II के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके असेंबली/उप-असेंबली के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत केवल वे इलेक्ट्रिक वाहन, जो पीएमपी की जरूरतों का अनुपालन करते थे, प्रोत्साहन के पात्र थे।

(ख): फेम-II के तहत पीएमपी के लिए आवश्यक था कि ट्रैक्शन बैटरी पैक घरेलू स्तर पर असेंबल किया जाए, जिसके लिए बैटरी सेल और संबंधित थर्मल एवं बैटरी प्रबंधन प्रणाली का आयात किया जा सकता है। पीएम ई-ड्राइव में ट्रैक्शन बैटरी पैक के लिए पीएमपी को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बैटरी अब मॉड्यूल के आयात की अनुमति नहीं है।

(ग): जी हाँ, फेम-II के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि भारी उद्योग मंत्रालय संतुष्ट है कि स्कीम के तहत पात्रता और/या प्रोत्साहनों का संवितरण तथ्यों के मिथ्या निरूपण या सूचना की जालसाजी अथवा पात्रता/प्रोत्साहन दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी तथ्यात्मक सूचना को छिपाने या दबाने के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो मंत्रालय अनुमोदित आवेदक को लागू ब्याज सहित प्रोत्साहन राशि वापस करने के लिए कहेगा।

(घ): फेम-II स्कीम 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई। हालांकि, प्रवर्तन और लेखापरीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 से कार्यान्वित की जा रही पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत सत्यनिष्ठा समझौता वचनपत्र, क्षतिपूर्ति सह वचनपत्र विलेख के साथ-साथ मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा स्थानीय विनिर्माण के वचनपत्र प्राप्त करने जैसे कुछ उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, मूल उपकरण विनिर्माताओं के लिए अपने मॉडलों/वेरिएंट्स को कम से कम वार्षिक आधार पर पुनः विधिमान्य कराना आवश्यक है।

****